प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022प्र0इ0रि0 सं. ......423/22......दिनांक......22/10/2022......

2. (I) अधिनियमः-धारा 7भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम .... धारायें ....
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ....410 समय ......7:00 PM......
   (ब) अपराध घटने का दिन-शुक्रवार, दिनांक 21.10.2022 समय 7.15 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.10.2022 समय .... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- चौकी गोरधनपुरा पुलिया जयपुर दिल्ली रोड एनएच-8
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर दिशा करीब 95 किमी
   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम- श्री गिरीराज यादव
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री भख्तावर
   (स) जन्म तिथी- उम्र-54 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय -खेतीबाड़ी
   (ल) पता- निवासी द्वारीपुरा पुलिस थाना प्रागपुरा हाल पाथरेडी पुलिस थाना सरूण्ड, जिला जयपुर।

6.(2) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम- श्री राजकंवर सिंह शेखावत
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री भंवर सिंह
   (स) जन्म तिथी- उम्र-48 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय -खेतीबाड़ी
   (ल) पता- निवासी ग्राम पाथरेडी, पुलिस थाना सरूण्ड, तहसील पाटवा, जिला जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
श्री कमलेश कुमार जाट पुत्र श्री गिरधारी लाल, उम्र 48 वर्ष, जाति जाट निवासी करवास पुलिस थाना पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का फतेहपुरा खुर्द अतिरिक्त चार्ज पाथरेडी, राजनोता तहसील पावटा, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...
....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-35,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 20-10-2022 को परिवादी श्री राजकंवर सिंह ने अपने मोबाईल फोन से रिश्वत मांगने की शिकायत भ्र0नि0ब्यरो मे करने पर परिवादी श्री राजकंवर सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पाथरेडी, पुलिस थाना सरूण्ड, तहसील पाटवा, जिला जयपुर के मोबाईल फोन नम्बर 6376117390 पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने फोन नम्बर 8949623104 से वार्ता की गई, जिस पर श्री राजकंवर सिंह ने बताया कि मैंने तथा मेरे साथी श्री गिरीराज यादव ने ग्राम पाथरेडी में करीब 2.56 एअर कृषि भूमि खरीदी थी जिसकी हमने रजिस्ट्री करवा ली है लेकिन हमारे गांव का पटवारी कमलेश कुमार नामांतकरण खोलने के 50 हजार रूपये रिश्वत के मांग रहा है।मै तथा मेरा साथी गिरिराज यादव रिश्वत नहीं देना चाहते। पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेने पकडवाना चाहते हैं। परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में आकर लिखित रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा तो श्री राजकंवर सिंह शेखावत ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिये मेरे को आने जाने में परेशानी होती है, आप मौके पर ही आकर सारी कार्यवाही कर दे तो उचित रहेगा। श्री राजकंवर सिंह शेखावत ने बताया कि गिरिराज यादव मेरा साथी भी मेरे पास ही मौजूद है इस पर राजकंवर सिंह के मोबाईल फोन से श्री गिरिराज यादव से भी वार्ता की तो श्री गिरिराज यादव ने भी राजकंवर सिंह शेखावत की बातों की ताईद की है। परिवादीगणों को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाईश की गई तो परिवादीगणों ने बताया कि आज कमलेश पटवारी मौजूद नहीं मिलेगा आपके कार्यालय के कर्मचारी को कल दिनांक 21.10.2022 को समय 09.00 ए.एम. के करीब पावटा भिजवा देना हम पावटा में मौजूद मिलेंगे तथा आपके आने पर हम आपको लिखित शिकायत रिपोर्ट पेश कर देंगे। इस पर श्री रमेश कुमार हैड कानि. नं. 406 को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसके सभी फोल्डर खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए परिवादी का नाम पता व मोबाईल नम्बर देते हुए परिवादीगणों द्वारा मोबाईल पर बताई गई शिकायत के बारे में समझाईश करते हुए दिनांक 21.10.2022 को समय 09.00 एएम पर पावटा पहूंचकर परिवादीगणों से संपर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री रमेश कुमार कानि0 406 ने दिनांक 21-10-2022 को पावटा पहूंचकर परिवादीगण से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी गई तो श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी द्वारा परिवादीगण के भूमि नामान्तकरण खोलने की ऐवज मे 35,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई।

दिनांक 21-10-2022 को मन् पुलिस निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह व ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाहान मय आवश्यक सामान सरकारी ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि मय उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सरकारी वाहनो से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर पावटा पहूंचा जहां पर उक्त परिवादीगण, श्री रमेश कुमार कानि 406 के साथ उपस्थित मिले जहां पर परिवादीगण श्री राजकंवर सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पाथरेडी, पुलिस थाना सरूण्ड, तहसील पाटवा, जिला जयपुर एवं श्री गिरीराज यादव पुत्र भख्तावर, उम्र 54 वर्ष निवासी द्वारीपुरा पुलिस थाना प्रागपुरा हाल पाथरेडी पुलिस थाना सरूण्ड ने एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश की कि '' सेवामें श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर विषय- पटवारी कमलेश को रिश्वत नहीं देकर पकडवाने के सम्बन्ध में। महोदय निवेदन है कि मै राजकंवर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम पाथरेडी तहसील पावटा जयपुर का रहने वाला हूं मैने व मेरे साथी श्री गिरिराज यादव पुत्र भख्तावर जाति यादव नि. ग्राम द्वारिकपुरा तहसील पावटा हाल नि. पाथरेडी तहसील पावटा जयपुर में ग्राम पाथरेडी में 2.56 एयर जमीन खरीदी थी। उक्त भूमि के मैने व गिरिराज जी ने रजिस्ट्री दिनांक 03.8.22 को करवायी थी। उक्त भूमि का नामांतकरण खुलवाने के लिये जब मैं व गिरिराज जी पटवारी श्री कमलेश चौधरी के पास गये तो कमलेश जी पटवारी ने कहा कि आप दोनों की जमीन कम है तथा कम जमीन के पैसे ज्यादा लगते हैं, उसने मेरे से व गिरिराज जी से अपने-अपने खाते के 25-25 हजार रूपये की मांग की थी। मै व गिरिराजजी हमारे जायज काम के लिये पटवारी श्री कमलेश चौधरी को रूपये नहीं देना चाहते हैं तथा पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहते हैं। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी एसडी- राजकंवर पुत्र भंवर सिंह ग्राम पाथरेडी तह. पावटा, जयपुर मो.नं. 6376117390 व एसडी- गिरिराज पुत्र भख्तावर जाति यादव नि. ग्राम पाथरेडी तह. पावटा, जयपुर फोन 9785424924''।

जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम मे परिवादी श्री गिरीराज यादव व राजकंवर सिंह को रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री गिरीराज यादव ने अपने पास से 15000/- रूपये पेश करते हुए बताया कि मेरे पास अभी 15,000/- रूपये का ही इंतजाम हुआ है इस पर साथ लाए हुए डमी नोटो को देने का निर्णय करते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत 15000/- रूपये भारतीय मुद्रा एवं 20,000/- रूपये के डमी नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ है, जिन पर श्री विक्रम सिंह कानि0 92 से उसके बैग मे रखी फिनोलफथलीन पाउडर की शिशि निकलवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय मुद्रा 15000/- रूपये एवं 20,000/- रूपये के डमी नोटो पर फिनोलफथलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोलफथलीन पाउडर एवं सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 5.40 पीएम पर पावटा कस्बे से रवाना होकर चौकी गोरधनपुरा पुलिया के पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 07.15 पीएम पर परिवादी गिरीराज यादव पुत्र श्री भख्तावर, जाति यादव उम्र 54 वर्ष निवासी द्वारीकपुरा, पुलिस थाना प्रागपुरा हाल पाथरेडी पुलिस थाना सरूण्ड, तहसील पावटा, जिला जयपुर ने अपने सिर पर रखी हुई साफी उतारकर निर्धारित ईशारा किया परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेते हुए परिवादी श्री गिरीराज यादव के पास पहूंचा जहां पर परिवादी श्री गिरीराज यादव एवं श्री राजकंवर सिंह खड़े हुए मिले। श्री गिरीराज यादव को पूर्व मे सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री गिरीराज यादव ने बताया कि मै एवं मेरे साथी श्री राजकंवर सिंह, चौकी गोरधनपुरा पुलिया जयपुर दिल्ली रोड एनएच-8 के नीचे खड़े होकर पटवारी श्री कमलेश जी का इंतजार कर रहे थे। श्री कमलेश जी मोटर साईकिल से हमारे पास आए तथा मुझे व मेरे साथी राजकंवर सिंह शेखावत को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री रोड़ कुजेता रोड की तरफ ले गए। थोड़ा आगे बढ़ कर पटवारी जी ने अपनी मोटर साईकिल रोक दी थी एवं हम तीनो ही मोटर साईकिल से उतर गए थे। इसके पश्चात् पटवारी जी ने हमारे द्वारा ग्राम पाथरेड़ी मे क्रय की गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री के कागजात देने के लिए कहा इस पर मैने श्री राजकंवर सिंह से उक्त कृषि भूमि की दोनो की मूल रजिस्ट्री तथा उनकी फोटो कॉपी पटवारी जी को दे दी थी पटवारी जी ने दोनो की मूल रजिस्ट्री तथा फोटो कॉपी प्राप्त करके अपनी मोटर साईकिल की डिक्की मे रख ली तथा मेरे से तयशुदा रिश्वती राशि देने के लिए कहा तो मैने अपनी जेब से रिश्वती राशि 35,000/- रूपये श्री कमलेश जी पटवारी जी को दिए तो इन्होने उक्त रिश्वती राशि अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब मे रख लिए थे। इसके बाद मैने आपको ईशारा कर दिया था तथा आप लोगो को आता देखकर पटवारी जी ने अपनी जेब से रूपये निकालकर नीचे झाडी की तरफ पटक दिए है। परिवादी के साथी श्री राजकंवर सिंह ने भी श्री गिरीराज के द्वारा बताई गई उक्त बातो की ताईद की। इस पर मोटर साईकिल के पास खड़े हुए व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कमलेश कुमार जाट पुत्र श्री गिरधारी लाल, उम्र 48 वर्ष, जाति जाट निवासी करवास पुलिस थाना पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का फतेहपुरा खुर्द अतिरिक्त चार्ज पाथरेडी, राजनोता तहसील पावटा, जिला जयपुर होना बताया। इस पर श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी को अभी-अभी कुछ समय पहले परिवादी श्री गिरीराज यादव से ली गई रिश्वती राशि 35000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री कमलेश कुमार जाट ने बताया कि मैने उक्त दोनो से कभी भी कोई रिश्वत राशि की मांग नही की थी श्री गिरीराज यादव ने ग्राम पाथरेडी मे 1.33 एयर भूमि एवं श्री राजकंवर सिह की 1.23 एयर भूमि क्रय की गई थी यह कृषि भूमि की साईज कुल 2.56 एयर थी किसी भी कृषि भूमि का नामान्तकरण खोलने के लिए उसकी कम से कम क्रय की गई साईज 5 एयर होना चाहिए इसलिए यह नियम अनुसार नही थी यह लोग इस भूमि का नामान्तकरण खुलवाना चाहते थे मैने इनसे कह दिया था कि यह भूमि कम होने से इसका नामान्तकरण नही खुलेगा यह लोग बार-बार नामान्तकरण खोलने का मेरे पर दबाव बना रहे थे आज भी यह बार-बार फोन करके मुझे मिलने के लिए चौकी गोरधनपुरा पुलिया के नीचे बुलाया था इनके बुलाने पर मै यहा आकर इनसे मिला तो श्री गिरीराज ने मेरी जेब मे जबरदस्ती रूपये रख दिए थे मैने इनसे रिश्वत की मांग नही की थी इन्होने यह रूपये जबरन मेरी जेब मे रख दिए थे। श्री गिरीराज यादव ने पटवारी श्री कमलेश कुमार जाट की बात का खण्डन करते हुए कहा कि यह झूंठ बोल हरे है

आज सुबह जब मै एवं मेरा साथी राजकंवर सिंह पटवारी श्री कमलेश कुमार जी से पटवार भवन पावटा मे मिले थे तब इन्होने कहा था कि तुम दोनो ने जो कृषि भूमि खरीदी है वह कम है इसलिए इसके नामान्तकरण के ज्यादा पैसे लगेगे हमारे द्वारा अपनी गरीबी का हवाला दिया तो इन्होने हम दोनो की रजिस्ट्री पर दोनो के नामान्तकरण खोलने के लिए 35,000/- रूपये रिश्वत के मांगे थे। अभी भी इन्होने तयशुदा रिश्वती राशि 35,000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बगल की बांयी जेब मे रख लिए थे तथा आपको आता देखकर पेंट की जेब मे से रिश्वती राशि अपने हाथ से निकालकर नीचे झाडी में डाल दी थी। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष शर्मा से उठवाए गए तो पांच पांच सौ रूपये की एक छोटी गड्डी मिली। जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट भरतीय मुद्रा 15,000/- एवं पांच पांच सौ रूपये जैसे दिखने वाले 40 डमी नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ के 20,000/- रूपये मिले है। 15,000/- रूपये की भारतीय मुद्रा का मिलान पूर्व मे बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट मिले है। जिनको स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष शर्मा के पास सुरक्षित रखवाए गए।

दर्ज रहे कि मौके पर आस पास के लोग इक्कठा हो गए है तथा लिखापढी करने का पर्याप्त स्थान भी नही है ऐसी स्थिति मे पुलिस थाना प्रागपुरा पर जाकर लिखापढ़ी करने का निर्णय लिया गया। इस पर श्री कमलेश कुमार जाट को यथास्थिति मे साथ लेते हुए सरकारी वाहनो से चौकी पुलिया से रवाना होकर पुलिस थाना प्रागपुरा पर पहूंचकर स्वागत कक्ष मे बैठकर लिखापढी प्रारंभ की गई।

तत्पश्चात् थाना परिसर से प्लास्टिक के जग मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक जग से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सेडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष शर्मा के पास सुरक्षित रखवाए गए रिश्वती राशि 35,000/- रूपये को पुनः फर्द पेशकशी से दोनो स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो 15,000/- रूपये भारतीय मुद्रा जिसमें 30 नोट पांच पांच सौ रूपये तथा 20,000/- रूपये के डमी नोट जिसमे पांच पांच सौ के 40 नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखे हुए मिले है। उक्त भारतीय मुद्रा के 15,000/- रूपये व डमी नोट जिसमे 40 नोट पांच पांच सौ रूपये के कुल 20,000/- रूपये जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ है कुल 35,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

दर्ज रहे कि आरोपी श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी ने परिवादी श्री गिरीराज से रिश्वती राशि 35,000/- रूपये प्राप्त कर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बगल की बांयी जेब मे रखे थे। ऐसी स्थिति मे पेंट का धोवन लिया जाना आवश्यक है। अतः बाजार से एक लोवर मंगवाया जाकर श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी के बदन पर पहनी हुई पेंट उतरवाई जाकर लोवर पहनने को दिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमे थाना परिसर से प्लास्टिक के जग मे साफ पानी मंगवाकर उक्त गिलास को पुनः साबुन पानी से धुलवाकर उसमे

प्लास्टिक के जग से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् श्री कमलेश कुमार जाट के बदन से उतरवाई गई पेंट की बगल की बांयी जेब को उलटवाकर बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेंट की बांयी जेब को सुखवाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज के बारे मे पटवारी श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी से पूछा गया तो पटवारी श्री कमलेश कुमार जाट ने बताया कि अभी जो इन्होने अपनी-अपनी मूल रजिस्ट्रीया व उनकी फोटो प्रति दी थी जो मैने मेरी मोटर साईकिल की डिक्की मे रख दी थी। इस पर श्री कमलेश कुमार जाट पटवारी की मोटर साईकिल नं0 आरजे-32-एसडी-6761 की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश मीना से लिवाई गई तो मोटर साईकिल की डिक्की मे परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल रजिस्ट्री व उनकी फोटो प्रतिया व अन्य दस्तावेजात मिले है। अतः मूल रजिस्ट्री की प्रति परिवादीगण का कार्य शेष होने से परिवादीगण को सुपुर्द की गई तथा रजिस्ट्री की फोटो प्रतिया जरिये फर्द जप्ती पृथक से जब्त की गयी। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को ध्यानपूर्वक सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडी तैयार की गयी।

अब तक की कार्यवाही से श्री कमलेश कुमार जाट पुत्र श्री गिरधारी लाल, उम्र 48 वर्ष, जाति जाट निवासी करवास पुलिस थाना पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का फतेहपुरा खुर्द अतिरिक्त चार्ज पाथरेडी, राजनोता तहसील पावटा, जिला जयपुर ने परिवादी श्री गिरीराज यादव पुत्र भख्तावर, उम्र 54 वर्ष निवासी द्वारीपुरा पुलिस थाना प्रागपुरा हाल पाथरेडी पुलिस थाना सरूण्ड एवं उसके साथी श्री राजकंवर सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पाथरेडी, पुलिस थाना सरूण्ड, तहसील पाटवा, जिला जयपुर के द्वारा ग्राम पाथरेडी मे कय की गई जमीन का नामान्तकरण खोलने की ऐवज में 35,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 21-10-2022 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री कमलेश कुमार जाट को परिवादी श्री गिरीराज यादव से 35,000/- की रिश्वती राशि अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बगल की बांयी जेब मे रखना तथा ट्रेप पार्टी को आता देखकर अपनी पेंट की जेब से रिश्वती राशि निकालकर नीचे झाडी में डालना तथा रिश्वती राशि मौके पर बरामद होना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी श्री कमलेश कुमार जाट पुत्र श्री गिरधारी लाल, उम्र 48 वर्ष, जाति जाट निवासी करवास पुलिस थाना पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का फतेहपुरा खुर्द अतिरिक्त चार्ज पाथरेडी, राजनोता तहसील पावटा, जिला जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपी श्री कमलेश कुमार जाट पुत्र श्री गिरधारी लाल, उम्र 48 वर्ष, जाति जाट निवासी करवास पुलिस थाना पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का फतेहपुरा खुर्द अतिरिक्त चार्ज पाथरेडी, राजनोता तहसील पावटा, जिला जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मानवेन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कमलेश कुमार जाट पुत्र श्री गिरधारी लाल, पटवारी, पटवार हल्का फतेहपुरा खुर्द, अतिरिक्त चार्ज पाथरेडी, राजनोता, तहसील पावटा, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 423/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3676-80 दिनांक 22.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

22.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।